(वाद संख्या–4947/17)

05.08.2019

परिवादी, शंकर मांझी, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी के तीसरे पुत्र, रविन्द्र मांझी के दुर्घटना में हुई मृत्यु से संबंधित है जिसे परिवादी द्वारा अपने पुत्र की गोली मारकर हत्या किया जाना माना जा रहा है।

मामले से **तथ्य** संक्षिप्त में निम्नलिखित हैः–

दिनांक–11.06.2017 की शाम परिवादी का पुत्र, रविन्द्र मांझी सरैया (मुजफ्फरपुर) थाना अन्तर्गत बसंतपुर पट्टी स्थित अपने घर से सराय (वैषाली) थानान्तर्गत अपने ससुराल गया था। अगले दिन सुबह करीब 8:00 बजे परिवादी के दूसरे पुत्र, राजू मांझी, को यह सूचना मिली की उसके भाई, रविन्द्र मांझी का सराय लालगंज पक्की सड़क पर अनवरपुर चौक से करीब 100 मी0 पूरब में किसी अज्ञात वाहन से धक्का लगने से मृत्यु हो गयी है। उक्त घटना के करीब 03 दिन बाद बंगलौर से लौटने पर परिवादी के उक्त भाई, राजू मांझी द्वारा उपरोक्त घटना से संबंधित लिखित आवेदन सराय थाना में दिया गया जिसपर सराय थाना द्वारा भा0द0स0 की धाराओं, 279 तथा 304–ए के अन्तर्गत सराय थाना कांड सं0–95/17, दिनांक–15.06.2017 संस्थित किया गया। तत्पष्चात् परिवादी द्वारा अपने पुत्र के मृत्यु को हत्या मानते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैषाली (हाजीपुर) के न्यायालय में एक परिवाद सं0–1667/17, दिनांक–29.07.2017 को दाखिल किया गया, जिसे संबंधित न्यायालय द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 156 (3) के प्रावधानानुसार प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने हेतु संबंधित थाना को भेज दिया गया।

परिवादी का कथन है कि उसके पुत्र, रविन्द्र मांझी, की मृत्यु/तथाकथित हत्या के करीब 03 माह के बाद उसकी पुत्रवधु रेणु देवी (मृतक, रविन्द्र मांझी, की पत्नी) को उसके माता–पिता द्वारा जबर्दस्ती परिवादी के घर से ले जाया गया, क्योंकि रेणु देवी परिवादी के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी कि वह उसके छोटे पुत्र, छोटू मांझी से विवाह कर ले। तत्पष्चात् उक्त रेणु देवी द्वारा परिवादी, उसकी पत्नी व उसके पुत्रों आदि के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैषाली (हाजीपुर) के न्यायालय में इस आषय का एक परिवाद पत्र सं0–2737/2017, दिनांक–31.10.2017 को दाखिल किया गया कि उसे उसके ससुराल वालों द्वारा उसके पति की मोटर साईकिल दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे अपने छोटे देवर, छोटू मांझी, से शादी करने हेतु दबाव डाला जा रहा है, जबकि छोटू मांझी एक नशेड़ी व्यक्ति है। परिवादी का कथन है कि उसकी पुत्रवधु द्वारा दाखिल उक्त परिवाद वर्तमान में हाजीपुर स्थित व्यवहार न्यायालय में लंबित है।

परिवादी की ओर से कांड के मृतक, रविन्द्र मांझी, का दिनांक–12.06.2017 के पूर्वा0 10:20 बजे सदर अस्पताल, हाजीपुर में किये गये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छाया–प्रति दाखिल की

गयी है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि चिकित्सक द्वारा उसके मृत्यु का कारण Death is due to coma following above injuries due to hard and blunt impact (P.T.A) दर्शाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी मृतक के शरीर पर गोली लगने व निकलने का जख्म नहीं पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि परिवादी के पुत्र, रविन्द्र मांझी की मृत्यु/तथाकथित हत्या का विषय एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर उक्त मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि स्वयं परिवादी का कथन है कि वह अपना मामला अपने अधिवक्ता के सहयोग से न्यायालय में उठा रहा है।

अतः उक्त परिस्थिति में प्रस्तुत मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक